

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1495 /36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त 21, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग। (7.077 है।)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10443)


सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 19.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2019 को प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	KML file of the proposed CA area has been found uploaded at para-C of online Part-I instead of the KML file of the proposed road. State Govt. may upload the correct KML file of proposed road at para-C of online Part-I for examine the proposed.	मोटर मार्ग की KML file के स्थान पर CA की KML file डाली थी जो सही कर मोटर मार्ग की KML file पार्ट-1 के पैरा C में अपलोड कर दी गयी है।
2.	As per DSS analysis, KML file of 19ha. area found uploaded instead of 17.154ha CA area. State Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में 7.077हे0 वन भूमि की आवश्यकता है, जिसके क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने क्षेत्रफल में 14.154हे0 की KML फाइल पार्ट-1 के पैरा 'D' में अपलोड कर दी गयी है।
3.	Digital map proposed road submitted in photocopy. State Government may submit the original copy of digital map.	प्रस्तावित मोटर मार्ग का डिजिटल मैप मानचित्रकी मूल प्रति पार्ट-1 में आन लाईन प्रेषित कर दिया गया है तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1494/36सी. दि. 21.08.2020 द्वारा हार्ड कापी मूल में प्रेषित है।
4	FRA certificates, SDLC proceedings and NPV calculation sheet found uploaded in photocopies. State Government may upload the original copy of FRA certificates, SDLC proceedings and NPV calculation sheet.	उपजिलाधिकारी स्तरीय FRA Certificate की मूल प्रति पार्ट-1 के पैरा 'K' में तथा NPV कैलकुलेशन सीट एडिशनल इनफारमेशन में ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	CA scheme uploaded online and submitted in hard copy are found different. Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload in old format. may submit/upload the correct information	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित मूल प्रति 14.154हे0 पार्ट-1 के पैरा 'D' में ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
6	Cost benefit analysis submit/uploaded in old format. Govt. may submit/upload the Cost benefit analysis in new format.	लागत लाभ विश्लेषण नये प्रारूप में तैयार कर पार्ट-1 के पैरा GI(I) में अपलोड कर दी गयी है तथा हार्ड कापी इस कार्यालय के पत्रांक 1494/36सी. दि. 21.08.2020 द्वारा प्रेषित।
7	VLC proceedings of village Sansari, Basedi, Bansal and Musoli not found uploaded/submitted. State Govt. may upload/submit the VLC proceedings of village Sansari, Basedi, Bansal and Musoli in original.	ग्राम स्तरीय कमेटी का वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम सनसारी व बसेड़ी तथा मुसमोली की अनापत्ति अपलोड प्रमाण पत्र पुनः हस्ताक्षर कर एडिशनल इनफारमेशन में ऑन लाईन कर दिया गया है।
8	Land schedule submitted/uploaded is found incomplete. State Govt. may submit/upload the complete land schedule.	प्रस्तावित मोटर मार्ग का लैण्ड शैड्यूल सही कर आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

9	The alignment of the proposed road the alternate alignment shown in the copy of Sol toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted uploaded at para-C(iii) is lacking in clarity.	प्रस्तावित मोटर मार्ग स्वीकृत समरेखण तथा वैकल्पिक समरेखण में से कुल लम्बाई के सापेक्ष 600मी0 भाग में अलग-अलग एलाईमेंट में है तथा उसके बाद दोनों एक ही समरेखण में जा रहे हैं।
10	The note containing justification for locating the project in forest land at para-D(i) of para-I is not satisfactory and the copy of may indicating location of alternative examined uploaded at para-D(ii) is lacking in clarity.	औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण पत्र पुनः सहीकर पार्ट-1 के पैरा D(ii) में आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
11	It is seen from the muck disposal plan that the calculation of muck has been done for 10110 mtr length of the road passing through forest land only and the muck likely to be generated due to construction of road in nap/private land has been taken into account for preparation of muck disposal plan. It is seen from the dimensions of the 6 no. of muck disposal sites that the area of land comes 1.78ha instead of 1.48ha shown in the muck disposal plan as well as component wise breakup in para-B-2.4 of Part-I. State Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information.	नाप भूमि में खेत होने के कारण निकलने वाले मक का उपयोग मार्ग के कटिंग/फिलिंग के ढाल वाली भूमि 10110मी0 लम्बाई से ही उत्सर्जित होने वाले मक डिस्पोजल की आवश्यकता है जिस हेतु 6नं0 डम्पिंग यार्ड प्रस्तावित किये गये हैं, जो पार्ट-1 B 2.4 में अपलोड कर दिया गया है।
12	The CA estimates uploaded in online Part-I and Part-II and the CA site suitability/certificate have not been signed by DFO. State Govt. may submit/upload the documents duly C/s by DFO.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन तथा उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के हस्ताक्षर कर पुनः अपलोड कर दिया गया है। पार्ट-11 प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
13	Although 0.70ha of reserve forest land in involved in the proposed but the working plan prescriptions have not given in para-5 of Part-II. State Govt. may upload the working plan prescriptions in para-5 of part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा स्तर से सम्बन्धित है।
14	The geo-referenced digital map and the Sol toposheet may of the proposed CA area uploaded at para-13 of Part-II have not been authenticated by DFO. State Govt. may submit/upload the document duly C/s by DFO at para-13 of Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा स्तर से सम्बन्धित है।
15	In the bar chart uploaded in online part-I, the RoW has been mentioned as 7.00 mtr in RF, VP and Benap land and 9.00 mtr in nap land. But the RoW of 9.00 mtr is mentioned in RF, VP, Benap and nap land in another bar chart uploaded in online Part-II. State Govt. may submit/upload the correct information in this regard.	पार्ट-1 के अनुसार पार्ट-11 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सही किया जाना है।
16	The NPV calculation sheet provided at page no. 126 of the hard copy is different from the NPV calculation sheet provided at page no. 127 and the one uploaded in online part-I Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information.	NPV कैलकुलेशन ससीट की सही प्रति एडिशनल इनफारमेशन में अपलोड कर दी गयी है तथा हार्ड कापी की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1494/36सी. दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्रेषित कर दी है।
17	State Govt. may remove the above shortcomings submit the hard copy of the above mentioned points.	उपरोक्तानुसार अपलोड की गयी बिन्दुओं की हार्ड कापी इस कार्यालय के पत्रांक 1494/36सी. दि. 21.08.2020 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(नोडल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत।



Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



E-mail - eeprani@yahoo.com

पत्रांक 1494 / 36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त 21, 2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10443)।


सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 19.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये, जिसमें भारत सरकार द्वारा विभिन्न 17 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिनका निराकरण कर ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। ऑन लाईन में प्रेषित बिन्दु संख्या- 2, 3, 6, 10 व 16 की हार्ड कापी अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि हार्ड कापी अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(ललित कुमार गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / 36सी. तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक - मैमो / 12-1(2) दि० 02-09-2020

प्रतिलिपि - आधि० आधि० प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा उक्त पत्रांक व पत्रांक 1495/36सी० दि० 21-08-2020 से आपके द्वारा ऑनलाइन आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिस्तर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें काफी मात्रा में कमियाँ पाई गई हैं, जो आपके आधिनस्त स्टाफ को भी बताया गया है। अतः आप उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिस्तर हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।